



2026:AHC:41215-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3561/2026

श्याम सुंदर शर्मायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (अधिवक्ता): राकेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): अशोक कुमार मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, जी.ए., रवि शुक्ला

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता), राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके कारण केस अपराध संख्या 0013 वर्ष 2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना बादलपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्पन्न हुआ है, को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और न्यायालय का ध्यान मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया है, जिसमें डॉक्टर ने उसके शरीर पर पाँच चोटें दर्ज की हैं।
5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 SCC 779, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2021) SCC ऑनलाइन SC 315 के मामलों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय क्रिमिनल अपील संख्या 843 वर्ष 2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) द्वारा किए गए परस्पर तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने उसके शरीर पर पाँच चोटें दर्ज की हैं, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों एवं राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंततः निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।